Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

भारत में जेल प्रशासन एवं जेल सुधार : एक विधिक अवलोकन

सुनील कुमार मिश्रा

शोध छात्र (विधि विभाग) नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज उ०प्र०।

डॉ राजीव नयन सिंह,

सहायक आचार्य (विधि विभाग) नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज उ०प्र०।

Article Info
Volume 4 Issue 6
Page Number: 69-81

Publication Issue :
November-December-2021

Article History
Accepted : 01 Dec 2021
Published : 25 Dec 2021

संक्षेप – आज जिस रूप में जेल व्यवस्था चल रही है, वह हमारे देश में ब्रिटिश शासन की विरासत है। यह हमारी दंड व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासकों की रचना थी, जिसका मकसद कारावास को गलत काम करने वालों के लिए एक आतंक बनाना था। भारतीय आपराधिक प्रशासन में जेल प्रशासन भी शामिल है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता परन्तु सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ उसे अपराधी बनाती हैं। जेल प्राधिकरण द्वारा कैदियों को उचित भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल उपचार दिया जाना चाहिए। कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कारावास का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि अपराधी को सुधारना है जिससे वह अपनी सजा पूरी होने के बाद सामान्य रूप से समाज में रह सकेगा। भारतीय दंड व्यवस्था भी सुधारवादी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में जेल व्यवस्था में कई सुधार हुए लेकिन अभी भी कुछ अन्य सुधारों की आवश्यकता है क्योंकि जेल में बंदियों की स्थिति खराब है।

संकेत शब्द– जेल, जेल प्रशासन, कैदियों की स्थिति में सुधार, विधिक प्रावधान, न्यायिक विनिश्चय।

---

1. प्रस्तावना– जेल शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जब्त करना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जेल का अर्थ उन व्यक्तियों के स्वागत के लिए उचित रूप से कुशल और सुसज्जित स्थान है, जो कानूनी प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित हिरासत के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि मुकदमे और सजा लंबित हैं।[i]

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भारत सरकार कारागार अधिनियम, 1894 के तहत जेल का अर्थ किसी भी लक्ष्य या प्रायश्चित्त से है जिसमें जेल के उपयोग के लिए लगे एयरिंग ग्राउंड और अन्य मैदान या भवन शामिल हैं। कारागार का अर्थ है जेल या ऐसा कोई स्थान जो किसी स्थानीय सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों के तहत स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बंदियों को बंदी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।[ii]

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका[पपप] के अनुसार जेल का अर्थ उन व्यक्तियों की कैद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संस्था से है, जो बड़े अपराधों या गुंडागर्दी के लिए दोषी हैं। परंपरागत रूप से, कारागार का अर्थ वह स्थान होता है जिसमें व्यक्तियों को उस समय हिरासत में रखा जाता है जब मुकदमा चल रहा हो या जिसमें उन्हें सजा के बाद सजा के रूप में कैद किया जाता है। अलग–अलग लोगों के लिए जेल का अर्थ अलग–अलग होता है जैसे कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां अपराधी समाप्त होते हैं और अपराधियों के लिए यह एक अस्पष्ट जोखिम या अपरिहार्य अपमान हो सकता है और सामाजिक अपर्याप्तता के लिए यह एक आश्रय हो सकता है और कुछ अलग व्यक्तियों के लिए जेल हो सकता है और जेल अधिकारी के लिए जेल काम की जगह है और मनोवैज्ञानिक के लिए यह व्यवहार का अध्ययन करने में एक करियर है और अन्य व्यक्तियों के लिए यह एक ऐसा अनुभव है जो समय को धीमा कर देता है, जो उन्हें एक साथ जोड़ता है , उन्हें अलग करता है और उनके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देता है।

1.1. भारत में जेल प्रणाली का इतिहास– वैदिक काल के दौरान न्याय का प्रशासन राज्य के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था। इस अवधि में चोरी, हत्या और व्यभिचार जैसे अपराधों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि राजा या न्यायाधीश के रूप में अधिकृत व्यक्ति को आपराधिक या दीवानी मामलों में कोई भी न्यायिक निर्णय पारित करने की शक्ति है। यहां तक कि सूत्रों और शास्त्रों में भी हमें जेल या जेल शब्द बहुत कम मिलता है। सामान्य तौर पर कारागार व्यवस्था के इतिहास को तीन चरणों में बांटा गया है।

1.1.1. प्राचीन भारत– प्राचीन समय में, भारत में जेल केवल नजरबंदी का स्थान था जहां एक अपराधी को उसके मुकदमे और फैसले के निष्पादन तक हिरासत में रखा जाता था। प्राचीन समय में, समाज की संरचना मनु द्वारा उच्चारित और याज्ञवल्क्य, कौटिल्य और अन्य लोगों द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर आधारित थी। विभिन्न प्रकार के शारीरिक दंडों जैसे ब्रांडिंग, फांसी, अंग–भंग और मृत्यु के बीच प्राचीन भारतीय दंडशास्त्र में महत्वपूर्ण रूप से ज्ञात सबसे आसान प्रकार का दंड कारावास था।

प्राचीन काल में जुर्माना, कारावास, निर्वासन, अंग–भंग और मृत्युदंड सजा के तरीके थे। जुर्माना सबसे आम सजा थी और जब एक व्यक्ति जो बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, उसे तब तक बंधुआ बनाया जाता था जब तक कि उसके श्रम द्वारा भुगतान नहीं किया जाता था। एक ब्राह्मण की हत्या के लिए 1000 गायों की, क्षत्रिय की हत्या के लिए 500 गायों की, वैश्य की हत्या के लिए 100 गायों की और शूद्र या किसी भी जाति की महिलाओं की हत्या के लिए 10 गायों का जुर्माना।

भारतीय कानून ने जेल जीवन का कुछ विवरण भी दिया। कुछ स्मृति लेखकों ने जेल से जुड़ी कुछ जानकारियां भी दीं। याज्ञवल्क्य[iv] ने कहा कि एक व्यक्ति जो कैदी को जेल से भागने में सहायता करता है, वह मृत्युदंड के लिए उत्तरदायी है। विष्णु ने उस व्यक्ति के लिए कारावास की सजा का सुझाव दिया जिसने किसी व्यक्ति की आंख को चोट पहुंचाई। कौटिल्य[v] ने कारागार के स्थान और उन अवसरों का भी वर्णन किया है जिन पर कैदी को रिहा किया गया था।

जेल के अधिकारी को भंडानगराध्यक्ष के रूप में जाना जाता था जो जेल का अधीक्षक था और कारक जो वह अधीक्षक का सहायक था। जेल विभाग सन्निधाता के अधीन कार्य करता था। कौटिल्य ने जेलर के कर्तव्यों का भी वर्णन किया जो हमेशा कैदियों की आवाजाही और जेल के उचित कामकाज पर नजर रखता है।

अशोक[अप] के बाद के युग में जातकों ने कहा कि युद्ध के समय कैदी को रिहा कर दिया जाना चाहिए। हर्षचरित[अपप] से ऐसा प्रतीत होता है कि बंदियों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। शाही राज्याभिषेक के समय कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। ह्वेनसांग[viii] के अनुसार कैदियों के साथ व्यवहार आमतौर पर कठोर था। प्राचीन काल में इस प्रकार की नियमित जेल व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। भारत में आधुनिक व्यवस्था की तुलना में सजा के एक तरीके के रूप में कारावास नियमित नहीं था।

1.1.2. मध्यकालीन भारत– मध्यकालीन भारत में कानूनी व्यवस्था प्राचीन भारत और मौजूदा मुस्लिम शासकों के समान ही है। मुगल काल के दौरान कानून का स्रोत कुरान है। अपराधों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है जो भगवान के खिलाफ अपराध, राज्य के खिलाफ अपराध, निजी व्यक्ति के खिलाफ अपराध है। इन अपराधों के लिए दंड को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, हैड, तजीर, किसस और तसीर। साधारण अपराधियों के मामले में कारावास को सजा के रूप में नहीं माना जाता था।

इसका इस्तेमाल ज्यादातर नजरबंदी के साधन के रूप में ही किया जाता था। ऐसे किले थे जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित थे, जिनमें अपराधियों का मुकदमा और निर्णय लंबित था, उन्हें हिरासत में लिया गया था। मुगल भारत में तीन महान जेल या महल थे। एक ग्वालियर में था, दूसरा रणथंभौर में और तीसरा रोहतास में था।

कैदियों की एकमात्र राहत यह थी कि उनकी रिहाई का आदेश विशेष अवसरों पर जारी किया जाता था। 1638 ई. में सहजन ने प्रिय राजकुमारी बेगम साहब की बीमारी से मुक्ति के उत्सव के अवसर पर कैदियों की रिहाई का आदेश जारी किया। कुछ कमरे ऐसे थे जो गंभीर अपराध करने वाले कैदियों और अपराधियों के लिए आरक्षित थे। इन कमरों को बंदीखाना या अदब खान के नाम से जाना जाता था।

मराठा काल के दौरान भी कारावास सजा का एक सामान्य रूप नहीं था। उस समय मौत, अंग–भंग का जुर्माना सजा के सामान्य रूप थे। मराठा काल में दंड का रूप भी प्राचीन और मुगल काल जैसा ही था।

ब्रिटिश–पूर्व काल में प्रचलित कारागार व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आधुनिक अर्थों में कोई कारागार नहीं थे।
- कारागारों के आंतरिक प्रशासन का कोई विवरण नहीं था।
- कारागारों के रख–रखाव और कामकाज के लिए कोई नियम नहीं थे।
- अलग कारागार सेवा का कोई अस्तित्व नहीं था।

1.1.3. आधुनिक भारत– हमारे देश की वर्तमान जेल व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है। यह हमारी स्थानीय दंड व्यवस्था के औपनिवेशिक शासकों की एक रचनात्मक रचना थी, जिसका मकसद कारावास को गलत काम करने वालों के लिए एक आतंक बनाना था। इतिहास में हमारे दंड सुधारों में एक बड़ी छलांग थी क्योंकि यह हमारी पुरानी प्रणाली के बर्बर दंड को समाप्त करने और अपराधों के लिए सजा के मुख्य रूप के रूप में कारावास के प्रतिस्थापन को संभव बनाता है।

1784 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने की शक्ति दी। कानून और न्याय के प्रशासन में सुधार लाने के कुछ प्रयास भी किए गए। उस समय 143 सिविल जेल, 75 आपराधिक जेल और 68 मिश्रित जेल पेश किए गए थे। ये जेलें मुगल शासन का विस्तार थीं जिनका प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों द्वारा किया जाता था।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने प्रयास किए और अपना व्यापार स्थापित करना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि कैदियों को यथासंभव आर्थिक रूप से और सरकार को अधिक से अधिक लाभ कमाने के इरादे से हिरासत में रखना चाहिए। प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासन ने केवल औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से अपनी जेल नीति आसानी से तैयार की।

1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारतीय जेलों की अस्वीकार्य परिस्थितियों की ओर भारत की विधान परिषदों का ध्यान आकर्षित किया और भारतीय जेलों की स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने और जेल अनुशासन की बेहतर योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही कारागार में सुधार संबंधी सुझावों के लिए भी इससे जेल अन्य जेलों के लिए आदर्श बनेगी।

भारत की विधान परिषदों ने लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 'जेल अनुशासन समिति' नियुक्त की।[ix]

माननीय एच शेक्सपियर समिति के अध्यक्ष थे और लॉर्ड मैकाले समिति के सदस्यों में से एक थे। इस समिति ने 1838 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति भारत में दंड प्रशासन के इतिहास में मील का पत्थर थी।

इसके बाद कारागार संस्था के अर्थ, स्वरूप और चरित्र को बदल दिया गया और अलग–अलग व्यवहार भी किया गया लेकिन यह परिवर्तन मूल रूप से दंडात्मक प्रकृति का था।[x]

इस समिति ने पहली बार भारत के अंग्रेजी शासकों का ध्यान भारतीय जेलों के प्रशासन के विभिन्न दोषों की ओर आकर्षित किया। इस रिपोर्ट में अधीनस्थ स्थापनाओं के भ्रष्टाचार, अनुशासन की लापरवाही और अतिरिक्त भित्ति श्रम या सार्वजनिक सड़कों पर कैदियों को नियोजित करने की व्यवस्था की आलोचना की गई। इस समिति ने नैतिक और धार्मिक शिक्षा, शिक्षा या अच्छे आचरण के लिए इनाम देने की प्रणाली को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के सुधारों को जानबूझकर खारिज कर दिया।

समिति के अधिकार का ध्यान उपचार की बढ़ती कठोरता के पक्ष में है और सभी कैदियों को कुछ और दिलचस्प कार्य में लगाने का भी प्रस्ताव है जिसमें कुछ समय के लिए कड़ी मेहनत करके त्वरित राहत प्राप्त की गई थी। इस समिति के अनुसार कारागार का उद्देश्य कठोर निजीकरण, सचमुच कड़ी मेहनत, एकांत, मौन और अलगाव की क्रूर प्रक्रिया के माध्यम से जेल को भय का स्थान बनाना था।

रिपोर्ट, सुझाव और सलाह पर और समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 1846 में आगरा में एक केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला केंद्रीय कारागार था जिसके बाद 1848 में बरेली और इलाहाबाद में एक केंद्रीय जेल की स्थापना की गई थी। 1852 में लाहौर में, 1857 में मद्रास में, 1864 में बॉम्बे में, 1864 में अलीपुर में, 1864 में बनारस और फतेहगढ़ में और 1867 में लखनऊ में।[xp] जेल प्रशासन में प्रतिशोध के सिद्धांत की वकालत के साथ–साथ यह हमारे देश में जेल सुधारों के इतिहास में एक सकारात्मक योगदान था।

1884 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में दो साल के लिए प्रायोगिक आधार पर जेल के पहले महानिरीक्षक को नियुक्त किया गया और कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया। 1850 में भारत सरकार ने इस पद को एक स्थायी पद के रूप में बनाया और यह भी सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत को जेलों का एक महानिरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। 1862 में उत्तर पश्चिमी प्रांत ने जिला जेलों के अधीक्षक के रूप में सिविल सर्जन को नियुक्त किया।

1870 में भारत सरकार द्वारा जेल अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने निर्धारित किया कि एक अधीक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी, एक जेलर और कुछ अन्य अधीनस्थ अधिकारी होने चाहिए जैसा कि स्थानीय सरकार आवश्यक समझती है।

इस अधिनियम ने जेल अधिकारियों के कर्तव्यों को भी निर्दिष्ट और वर्गीकृत किया। यह अधिनियम पुरुष कैदियों को महिला से अलग करने, बाल अपराधियों को वयस्क से अलग करने और अपराधी को नागरिक अपराधियों से अलग करने से संबंधित प्रावधान भी प्रदान करता है। 1877 और 1889 में तीसरी और चौथी जांच समिति का गठन किया गया। समितियों की सिफारिशों पर **कारागार अधिनियम, 1894** पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रभाव के कारण इस अवधि के दौरान जेलों की अवधारणा में काफी भौतिक प्रगति हुई।

1919 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया जो जेलों के प्रबंधन के बारे में जाँच करता है और जेलों के रखरखाव में सुधार का सुझाव देता है। इस आयोग ने किशोर प्रसव के लिए बोरस्टल स्कूल जैसी अलग संस्था से संबंधित सिफारिशें दीं। जिन अपराधियों का मुकदमा लंबित है उन्हें दोषी अपराधी से अलग रखा जाना चाहिए, वयस्कों के बीच आदतन और आकस्मिक अपराधियों का वर्गीकरण होना चाहिए।

अपराधियों के अंडमान द्वीप पर परिवहन के दृष्टिकोण पर भी समिति की रिपोर्ट में कुछ प्रकाश डाला गया और इस प्रथा को रोकने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट के बाद एकान्त कारावास को भी समाप्त कर दिया गया। 29 वर्ष से कम आयु के सभी दोषियों की वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के तहत देखभाल की जानी थी और जेलों में पुस्तकालय भी स्थापित किए गए थे। भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया और बंदियों को दो जोड़ी कपड़े उपलब्ध कराए गए।

समिति का मुख्य विचार या उद्देश्य कैदियों का सुधार था जो कि कारावास और सामाजिक आवश्यकता के रूप में कैदियों के पुनर्वास का अंतिम उद्देश्य था।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा लाए गए संवैधानिक परिवर्तनों के कारण इस जेल सुधार प्रणाली को अचानक रुकावट मिली। इस अधिनियम ने जेल विभाग का नियंत्रण भारत सरकार से प्रांतीय सरकार को स्थानांतरित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जेल के सुधारों में वृद्धि हुई। भारतीय नेता देश के औद्योगिक विकास के लिए ब्लू प्रिंट के साथ तैयार थे, लेकिन जेल सुधार उनकी नजरों से बच नहीं सके क्योंकि उन सभी ने जेल में अपना जीवन व्यतीत किया।[xii]

भारतीय संविधान के तहत जेल प्रशासन राज्य का विषय था। इस संगठन का नेतृत्व कारागार महानिरीक्षक ने किया था। इस संगठन में कई केंद्रीय जेल, उप जेल, जिला जेल शामिल हैं। सभी राज्य जेल प्रशासन के अलग–अलग पैटर्न अपनाते हैं। केंद्रीय जेल लंबी अवधि के कैदियों के लिए अभिप्रेत हैं जिन्हें अदालत में दोषी ठहराया गया था।

1.2. भारत में जेल की व्यवस्था– एक जेल एक ऐसी संस्था है जिसे आवास की जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्होंने अपराध किया है और जिसका मुकदमा उस अपराध को करने के लिए लंबित है। भारत में जेल और कैदी कानून उन कानूनों में से एक है जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया और उन्हें भुला दिया गया और आज के परिदृश्य में सुधारों के लिए इसे पर्याप्त महत्व नहीं मिल सकता है।

जेलों में बंद उन लोगों के लिए मजबूत कानूनों का अभाव है, जिन्हें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और देश के अन्य सभी नागरिकों की तरह बुनियादी सम्मान का भी अधिकार है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों या उपचार के अधीन किया गया है और बुनियादी जरूरतों जैसे कि उचित

भोजन और उचित स्वच्छता की स्थिति से वंचित किया गया है। जेल को सिर्फ सजा देने के बजाय इंसानों को सुधारने में मदद करनी चाहिए। समाज में सुधार तभी लाया जा सकता है जब अपराधियों को सुधार का सही मौका मिले। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है जिसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति मनुष्य होने से रुक जाता है या गैर–मानव बन जाता है तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता।

कारागार और उनका प्रशासन भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत मद संख्या 4 में शामिल राज्य का विषय है। राज्य सरकार के पास विशेष रूप से जेल के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ हैं। यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित है। वर्तमान जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्य की प्राथमिक भूमिका और जिम्मेदारी और अधिकार है। केंद्र सरकार के पास केवल राज्यों को जेलों में सुरक्षा में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं, पुरानी जेलों की मरम्मत और नवीनीकरण, बोर्स्टल स्कूलों के विकास, महिला अपराधियों को सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जेल उद्योगों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण के लिए सहायता देने की शक्ति है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से जेल प्रशासन से संबंधित कई नियमों की गणना की।

कुछ नियम इस प्रकार हैं–

- प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हकदार है। यदि कोई व्यक्ति कारागार में रहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति गैर–व्यक्ति बन जाता है।
- एक व्यक्ति जो अपराध करता है वह भी सभी प्रकार के मानवाधिकारों का हकदार है लेकिन कारावास और कारावास की सीमाओं के भीतर।
- एक व्यक्ति पहले से ही सजा के द्वारा अपराध के लिए पीड़ित है तो उसे कोई अन्य पीड़ा नहीं दी जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जेल के विभिन्न मुद्दों से संबंधित अधिक महत्व दिया जैसे कि उचित स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, भीड़भाड़, कैदियों के लिए उचित सुविधाओं के प्रावधान के साथ–साथ मुफ्त कानूनी सहायता जो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान की जाती है।

1.2.1. भारत में जेल के प्रकार– भारत में जेल के तीन स्तर हैं जैसे तालुका स्तर, जिला स्तर और केंद्रीय स्तर है। इन स्तरों की जेलों को क्रमशः उप जेल, जिला जेल और केंद्रीय जेल के रूप में जाना जाता है। सामान्य तौर पर उप जेल से केंद्रीय जेल तक बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, शैक्षिक और पुनर्वास सुविधाएं बेहतर हैं। कुछ अन्य प्रकार की जेल भी हैं जैसे महिला जेल, बोरस्टल स्कूल, खुली जेल और विशेष जेल।

भारत में जेल के प्रकार

प्रकार	संख्या	उपलब्ध क्षमता	कैदियों की संख्या
सेण्ट्रल जेल	144	177618	220021
जिला जेल	410	158986	206217
उप जेल	617	45071	38030
महिला जेल	31	6511	5612
स्पेशल जेल	41	7262	4320
ओपेन जेल	86	6113	3652
बोरस्टल स्कूल	19	1615	597
अन्य जेल	2	563	151
कुल	1350	403739	478600

स्रोत– Prison Statistics India- 2019(NCRB)

1.2.1.1. सेंट्रल जेल– एक जेल को केंद्रीय जेल के रूप में विभाजित करने के मानदंड अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हैं। सभी राज्यों की केंद्रीय जेल की सामान्य विशेषता यह है कि वे कैदी केंद्रीय जेलों में बंद हैं जिन्हें लंबी अवधि के कारावास की सजा दी जाती है जो कि दो साल से अधिक है। ये जेल उम्रकैदों और जघन्य अपराध करने वालों के लिए बनी हैं। इस प्रकार के कारागार में बंदियों की नैतिकता और सत्यनिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इन जेलों में बंद अपराधी कड़ी मेहनत करके अपनी मजदूरी कमाते हैं। अन्य जेलों की तुलना में इन जेलों में रहने की क्षमता अधिक है।

इन जेलों में पुनर्वास की अतिरिक्त सुविधा भी है। कुल 144 केंद्रीय जेल हैं। दिल्ली में केंद्रीय जेलों की संख्या सबसे अधिक 16 है, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में प्रत्येक में 9 केंद्रीय जेल हैं, कर्नाटक में 8 केंद्रीय जेल हैं, गुजरात में 4 केंद्रीय जेल हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक भी केंद्रीय जेल नहीं है।

1.2.1.2.जिला जेल– केंद्रीय जेलों और जिला जेलों में बहुत अंतर नहीं है। जिला जेल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य जेल हैं जहां कोई केंद्रीय जेल नहीं है। भारत में कुल 410 जिला जेल हैं। उत्तर प्रदेश में 57 जिला जेल हैं, मध्य प्रदेश में 39, बिहार में 31, महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 24, असम में 22, कर्नाटक में 19,

झारखंड में 17, हरियाणा में 16, गुजरात है। 11, केरल में 11, पश्चिम बंगाल में 12, छत्तीसगढ़ में 11, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में प्रत्येक में 10 जिला जेल हैं।[xiii]

1.2.1.3. उप जेल– भारत में ये सब जेल सब डिविजनल जेल की भूमिका निभाते हैं। ये जेल राज्य के उपमंडल स्तर पर स्थित छोटे संस्थान हैं। इन जेलों में जेल की व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्थित और बेहतर है क्योंकि ये निचले स्तर पर बनाई गई हैं। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें उप जेलों की संख्या अधिक है। इन राज्यों में महाराष्ट्र में 100 उप जेल हैं, आंध्र प्रदेश में 99, तमिलनाडु में 96, मध्य प्रदेश में 72, कर्नाटक में 70, ओडिशा में 73, राजस्थान में 60, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में 33 हैं। ओडिशा में सबसे अधिक क्षमता है। विभिन्न उप जेलों में बंद कैदी।[xiv]

7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कोई उप जेल नहीं है। इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली हैं।

1.2.1.4. खुली जेल– इस प्रकार की जेलों के नाम विरोधाभासी लग सकते हैं लेकिन यह सच है। ये जेल न्यूनतम सुरक्षा वाली जेल हैं। राजस्थान कारागार नियमों के अनुसार खुली जेल का अर्थ है बिना दीवारों, सलाखों और तालों वाली जेल। इन कारागारों में केवल उन्हीं सजायाफ्ता कैदियों को प्रवेश दिया जाता है जो अच्छा व्यवहार करते हैं और जेल नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इन जेलों में न्यूनतम सुरक्षा रखी जाती है और कैदियों को कृषि गतिविधियों में लगाया जाता है और उन्हें अपने परिवार के लिए कमाने की अनुमति दी जाती है।

भारत में पहली खुली जेल केरल के गृह मंत्री पी.टी. ने 28 अगस्त 1962 को नेय्यर त्रिवेंद्रम के पास नेट्टुकलथेरी में बनवाया। भारत के सत्रह राज्यों में 86 खुली जेल हैं। राजस्थान में खुली जेलों की संख्या सबसे अधिक 29 है। 2015 के अंत तक भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कोई खुली जेल नहीं थी।[xv] दिसंबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को भारत में और अधिक खुली जेल स्थापित करने का निर्देश दिया।

1.2.1.5. विशेष जेल– ये जेल सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल हैं और इनमें बंदियों के लिए खास इंतजाम हैं। इन जेलों में विशेष वर्ग या वर्ग के कैदियों को कैद किया जाता है। विशेष जेलों में बंद कैदी वे होते हैं जिन्हें आतंकवाद, हिंसक अपराधों, आदतन अपराधियों, जेल अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जाता है और कैदी अन्य कैदियों के प्रति हिंसक और आक्रामक होते हैं। भारत में कुल 41 विशेष जेल हैं। केरल में सबसे अधिक विशेष जेल हैं जो कि 16 हैं। विशेष जेल में महिला कैदियों को रखने से संबंधित प्रावधान तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में भी उपलब्ध हैं।

1.2.1.6. महिला जेल– महिला जेल वे हैं जो विशेष रूप से केवल महिला कैदियों के लिए हैं। ये जेल महिला बंदियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। इन जेलों में महिला स्टाफ सदस्य शामिल हैं। ये जेलें उपमंडल, जिला और केंद्रीय स्तर पर मौजूद हैं। भारत में कुल 31 महिला जेल हैं। महिला जेलों की क्षमता सीमित होती है इसलिए

ज्यादातर महिला कैदी जेल के अन्य रूपों में बंद रहती हैं। महाराष्ट्र में हैं 5 महिला जेलें केरल और तमिलनाडु में प्रत्येक में 3 जेल हैं।

1.2.1.7. बोरस्टल स्कूल– यह एक प्रकार का युवा निरोध केंद्र है और इसका उपयोग विशेष रूप से नाबालिगों या किशोरों के कारावास के लिए किया जाता है। इन स्कूलों का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य युवा अपराधियों की देखभाल, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करना है जिसमें वातावरण बच्चों के लिए उपयुक्त हो और उन्हें जेल के संक्रामक वातावरण से दूर रखा जाए। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को बोरस्टल स्कूल में हिरासत में लिया जाता है और प्रशिक्षित शिक्षकों की मदद से विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किशोर के सुधार के लिए और उसे अपराध से रोकने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और नैतिक प्रभाव पर मुख्य जोर दिया गया।

नौ राज्यों में बोरस्टल स्कूल है। भारत में कुल 19 बोरस्टल स्कूल हैं। इन राज्यों के नाम हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। तमिलनाडु में बोरस्टल स्कूल में कैदियों को रखने की क्षमता सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश और केरल ही ऐसे राज्य हैं जहां अपने दो बोरस्टल स्कूल में महिला कैदियों को रखने की क्षमता है। 2015 के अंत तक भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कोई बोर्स्टल स्कूल नहीं है।

1.2.1.8. अन्य जेल– जेल, जो उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ये जेल अन्य जेलों की श्रेणी में आते हैं। केवल तीन राज्यों में अन्य जेल हैं। इन राज्यों का नाम कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र है और हर राज्य में एक जेल है। अन्य जेलों में बंदियों को रखने की क्षमता कर्नाटक में सबसे अधिक है, उसके बाद केरल और फिर महाराष्ट्र में है। इन राज्यों के बावजूद भारत के किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अन्य जेल नहीं हैं।

1.2.2.जेल के कार्य– भारत की कानूनी व्यवस्था हमेशा अहिंसा, एक–दूसरे के लिए आपसी सम्मान और दूसरे इंसान के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है जिसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति रुक जाता है या मनुष्य होने से रोक दिया जाता है या गैर–मानव या गैर–व्यक्ति बन जाता है, तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। कैदी भी मानवाधिकारों के हकदार हैं क्योंकि यातना न्याय प्रणाली की विफलता का एक स्वीकारोक्ति है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी भी व्यक्ति के प्रति सभी प्रकार के अमानवीय, क्रूर और अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। इस अनुच्छेद का उल्लंघन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करेगा जो कानून के तहत समानता के अधिकार और समान संरक्षण की बात करता है। कैदियों के अधिकार कारागार अधिनियम, 1894 के अंतर्गत आते हैं।

जेल सुधारों के लिए अमिताभ राय समिति–

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जेल सुधारों के लिए पूर्व न्यायाधीश अमिताभ राय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति देशभर में सभी जेल सुधारों के पहलुओं पर सुझाव देगी। यह पीठ भारत के लगभग 1,382 जेलों में बंद कैदियों की समस्या संबंधी विभिन्न मुद्दों की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अदालत सहयोग कर रहे वकील गौरव अग्रवाल एवं सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने इस समिति के कार्यक्षेत्र का मसौदा तैयार किया था।

- न्यायालय द्वारा कहा गया है कि कैदियों के भी मानवाधिकार होते हैं और उनको जानवरों की तरह नही रखा जा सकता।
- भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 25 सितंबर, 2018 को भारत की सभी जेलों की वर्तमान मौजूदा स्थित एवं समस्याओं की समीक्षा करने के लिए एवं इससे निपटने के लिए और उपयुक्त उपाय ढूंढने के लिए पूर्व न्यायाधीश अमिताभ राय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति देशभर में सभी जेल सुधारों के पहलुओं को देखेगी और इसके उपायों पर सुझाव देगी।
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने 25 सितंबर, 2018 को अपने आदेश में कहा है कि न्यायमूर्ति अमिताभ राय की अध्यक्षता वाली समिति जेलों मे महिला कैदियों की स्थिति एवं क्षमता से अधिक बंदियों को रखे जाने एवं अन्य समस्याओं की समीक्षा करेगी और इसमें सुधार के उपाय भी सुझाएगी।
- यह पीठ भारत के लगभग 1,382 जेलों में बंद कैदियों की समस्या संबंधी विभिन्न मुद्दों की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय द्वारा 27 अगस्त, 2018 को समिति के गठन का अपना आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। इस पीठ का हिस्सा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी हैं।इस मामले में अदालत का सहयोग कर रहे वकील गौरव अग्रवाल एवं सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने इस समिति के कार्यक्षेत्र का मसौदा तैयार किया था। इनके द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर ही पीठ ने गौर किया है।
- न्यायालय द्वारा कहा गया है कि कैदियों के भी मानवाधिकार होते हैं और उनको जानवरों की तरह नही रखा जा सकता।
- न्यायालय द्वारा जेल में अधिक कैदी रखे जाने पर भी आपत्ति दर्शायी गई है।
- न्यायालय द्वारा जेलों के अंदर हो रही अप्राकृतिक मौत और जेल सुधारों पर पहले ही कई दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

- इससे पहले, पांच अगस्त को शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाखुशी जाहिर की थी कि कई राज्यों ने बोर्ड ऑफ विजिटर भी नियुक्त नहीं किए हैं जो नियमित तौर पर जेलों का दौरा करें और यह सुनिश्चित करें कि इनका परिचालन नियमानुसार हो।

निष्कर्ष– कौटिल्य के अनुसार "दंडनीति अधिष्ठन् प्रजाः संरक्षति" अर्थात दण्डनीति के उचित प्रयोग से प्रजा की रक्षा होती है। आज जिस रूप में जेल व्यवस्था चल रही है, वह हमारे देश में ब्रिटिश शासन की विरासत है। यह हमारी दंड व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासकों की रचना थी, जिसका मकसद कारावास को गलत काम करने वालों के लिए एक आतंक बनाना था। भारतीय आपराधिक प्रशासन में जेल प्रशासन भी शामिल है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता परन्तु सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ उसे अपराधी बनाती हैं।

जेल प्राधिकरण द्वारा कैदियों को उचित भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल उपचार दिया जाना चाहिए। कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कारावास का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि अपराधी को सुधारना है जिससे वह अपनी सजा पूरी होने के बाद सामान्य रूप से समाज में रह सकेगा। भारतीय दंड व्यवस्था भी सुधारवादी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में जेल व्यवस्था में कई सुधार हुए लेकिन अभी भी कुछ अन्य सुधारों की आवश्यकता है क्योंकि जेल में बंदियों की स्थिति खराब है।

कैदियों के लिए भी कोई मजबूत कानून नहीं था। वर्तमान समय में ऐसे कई मामले हैं जिनमें कैदी आत्महत्या या जेल में हत्या कर देता है और उसे जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित या पीटा जाता है और ये मामले दिन–ब–दिन बढ़ते जा रहे हैं इसलिए कैदियों की सुरक्षा के लिए उचित कानून की आवश्यकता है क्योंकि कैदी हैं मनुष्य भी हैं और उनके पास भी वे सभी अधिकार हैं जो अन्य नागरिकों के पास हैं। जेलों या जेलों की अधिक संख्या की भी आवश्यकता थी क्योंकि सभी जेलों की क्षमता कैदियों की संख्या से कम है। जेल व्यवस्था में कुछ सुधारों का सुझाव भी विधायी सदस्य या न्यायविदों ने दिया।

वे दिन लद गए जब जेलें कालकोठरी थीं जहां कैदियों को अंधेरे कक्षों में अपना दिन गुजारने के लिए रखा जाता था। जेलें अब वे संस्थाएं नहीं हैं जिन्हें सजा के केवल प्रतिशोधी और निवारक पहलुओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेल अब वे स्थान हैं, जहां कैदियों को समाज के भूले हुए या त्यागने वाले सदस्यों के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यों के रूप में रखा जाता है, जिन्हें अपने परिवेश में जाना पड़ता है और साथ ही सुधारित व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करना पड़ता है। एक कैदी के लिए, कारावास अपने आप में एक सजा है और इस प्रकार, जेलों से पुनर्वास के स्थान होने की उम्मीद की जाती है, न कि उन जगहों पर जहां अतिरिक्त सजा दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

जब भी विधायिका और कार्यपालिका ने गलती की है, देश की न्यायपालिका ने कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने दोषियों के उद्धारकर्ता के रूप में काम किया है और उनके मौलिक

अधिकारों को बार–बार बरकरार रखा है। इसने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अपनी शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग किया है और मानव के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए बार–बार नए उपचार और उपकरण तैयार किए हैं।

सन्दर्भ सूची

[i] ए०बी०सी०डी० डिक्सन एंड्रयू (23 फरवरी 2018)

[ii] धारा 3(1)ग केन्द्रीय कारागार अधिनियम, 1894

[iii] Britannika.com

[iv] https://hi.m.wikipedia.com

[v] https://hi.m.wikipedia.com

[vi] https://hi.m.wikipedia.com

[vii] https://hi.m.wikipedia.com

[viii] https://hi.m.wikipedia.com

[ix] भारत का आधुनिक कालीन इतिहास, बी०एल० ग्रोवर

[x] भारत का आधुनिक कालीन इतिहास, बी०एल० ग्रोवर

[xi] भारत का आधुनिक कालीन इतिहास, बी०एल० ग्रोवर

[xii] भारत का आधुनिक कालीन इतिहास, बी०एल० ग्रोवर

[xiii] http://ncrb.gov.in

[xiv] http://ncrb.gov.in

[xv] http://ncrb.gov.in